

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/उत्पा/निस्तार/35/1455

भोपाल, दिनांक 20—4—2007

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

**विषय :— शमशान घाटों के लिये जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था बाबत।**

—00—

शमशान घाटों के लिये जलाऊ लकड़ी की पर्याप्त मात्रा एवं अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी उपलब्ध कराना विभाग का एक परम आवश्यक कर्तव्य है। कुछ विश्राम घाटों से शिकायत आयी है कि जलाऊ लकड़ी कमी—कभी उन्हें वन विभाग से उपलब्ध नहीं होती है, अतः माननीय वन मंत्रीजी द्वारा निर्देशित किया गया है कि मध्यप्रदेश के समस्त विश्राम घाटों पर अच्छी गुणवत्ता की जलाऊ लकड़ी नियमानुसार डिपो में समय से उपलब्ध रहे। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि बरसात के समय के लिये समय पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे।

शमशान घाट के लिये जलाऊ लकड़ी प्रदाय की दरों की गणना में परिवहन पर हुये व्यय को भी शामिल किया जाता है। अतः वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निकटतम डिपो से ही जलाऊ लकड़ी का परिवहन शमशान घाट के लिये प्रदाय हेतु किया जावे, जिससे परिवहन पर कम से कम व्यय हो तथा शमशान घाट के लिये प्रदाय की दरें भी कम से कम रखी जा सके। अतः भविष्य में शमशान घाट के लिये नियमानुसार न्यूनतम दरें एवं अच्छी गुणवत्ता की जलाऊ लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सही—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0, भोपाल

पंचाकन क्रमांक/उत्पादन/निस्तार/80/1456

भोपाल, दिनांक 20—4—2007

**प्रतिलिपि :—** 1. निज सचिव, मा. वन मंत्रीजी म0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया माननीय वन मंत्रीजी को अवगत कराने का कष्ट करें।  
 2. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराने का कष्ट करें।

सही—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0, भोपाल